ग्रेन के खिलाफ

नवंबर 2014

व्यापार समझौते किसानों के बीजों को गैर-कानूनी ठहराते हैं

कोस्टा रिका में, मध्य अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ संघर्श बहुत हद तक देा की जैवविविधता की अनूठी संपत्ति को पेटेंट किए जाने से रोकने के लिए और यूपीओवी -यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज (नई पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए यूनियन) के खिलाफ एक लड़ाई थी। (फोटो : फाइटिंग एफटीए)

GRAIN

बीजों को एक मौसम से दूसरे मौसम तक के लिए बचाने से अधिक दिनचर्या की बात और क्या हो सकती है? आखिरकार, इसी तरीके से तो हम अपने खेतों और बागों में फसल उगाते हैं। फिर भी, ग्वाटेमाला से लेकर घाना तक और मोजाम्बिक से मलेशिया तक इस मूलभूत प्रचलन को गैर कानूनी बनाया जा रहा है जिससे कि छह बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीजों को निजी संपत्ति बना लें और उनसे धन कमाएं। ग्रेन ने एक नवीनतम डाटासेट प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार तथाकथित मुक्त व्यापार समझौते दुनिया भर में बीजों का निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन लोग अब इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और कई देशों में लोग लामबंद होकर सरकारों की बीज निजीकरण योजनाओं को रोकने पर मजबूर कर रहे हैं।

व्यापार समझौते सरकारों के लिए कॉरपोरेट लॉबियों के साथ मिलकर बीजों के साथ काम करने के किसानों के अधिकारों को सीमित करने के एक माध्यम बन गए हैं। कुछ वर्ष पहले तक, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता (ट्रिप्स) था। 1994 में लागू ट्रिप्स बीजों के ऊपर 'बौद्धिक संपदा'अधिकारों के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था और आज भी है।[1] लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मौनसैंटो या सिनजेंटा जैसी कंपनियां, जो पौध प्रजनन एवं अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर पैसे खर्च करती हैं, किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए बीजों को फिर से उपयोग में लाने से उन्हें क्या उसी प्रकार रोक सकती हैं जिस प्रकार हॉलीवुड या माइक्रोसॉफ्ट लोगों को फिल्मों या सॉफ्टवेयर को उन पर कानूनी या प्रौद्योगिकीय अवरोध लगाकर उनकी नकल करने या उन्हें साझा करने पर रोक लगाने का प्रयास करती हैं।

लेकिन बीज सॉफ्टवेयर नहीं हैं। 'जीवन के पेटेंटीकरण' की धारणा का ही भारी विरोध हो रहा है। इस वजह से, डब्ल्यूटीओ समझौता सरकारों के बीच एक प्रकार का वैश्विक करार था। इसमें कहा गया है कि देश पौधें एवं पशुओं को (सूक्ष्म जीवधारियों को छोड़कर) अपने पैटेंट कानूनों से बाहर रखना चाहिए, लेकिन उन्हें पौध किस्मों पर कुछ प्रकार की बौद्धिक संपदा सुरक्षा अवश्य मुहैया करानी चाहिए, हालांकि इसमें यह निर्दिश्ट नहीं किया गया है कि इसे किस प्रकार से किया जाना है।

व्यापार समझौतों पर बातचीत डब्ल्यूटीओ के दायरों से बाहर की गई। खासकर, जिस बातचीत की शुरूआत दुनिया के विकसित देशों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई, उन्होंने डब्ल्यूटीओ के नियमों से ज्यादा से ज्यादा दूर रहने का प्रयास किया। उन्हें अक्सर पौधों या पशुओं को पैटेंट करने, या जेनेवा आधारित यूपीओवी -यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज (नई पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए यूनियन) -जो फसल किस्मों के ऊपर पैटेंट जैसे अधिकार मुहैया कराते हैं- के नियमों का अनुकरण करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों की जरूरत पड़ती है। चाहे पैटेंट कानून के रूप में हो या यूपीओवी, ये नियम आम तौर पर किसानों के लिए बीजों को, जिन्हें वे तथाकथित सूरक्षित किस्म बताते हैं, बचाने, आदान प्रदान करने, बेचने या संशोधित करने को गैर कानूनी बना देते हैं।[2] वास्तव में, 1991 में छोटे एवं देशज क़ाफ समुदायों की कीमत पर कृषि व्यवसाय कंपनियों को ज्यादा मजबूत एकाधिकारी शक्तियां देने के लिए यूपीओवी समझौते को संशोधित किया गया। यूपीओवी के 1991 संस्करण को अब व्यापार समझौतों के जरिये काफी बढ़ावा दिया जा रहा है।

एफटीए का घातक हमला

जिस वक्त ट्रिप्स को अंतिम रूप दिया जा रहा था, लगभग उसी वक्त मैक्सिको, कनाडा एवं अमेरिका ने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहुपक्षीय क्षेत्रों के दायरे के बाहर किया जाने वाला यह पहला व्यापार समझौता था जिसमें बीज के निजीकरण को लेकर सख्त प्रावधान या फंदे थे। इसने मैक्सिको को यूपीओवी क्लब के देशों में शामिल करने का एहसान किया और बीज कंपनियों को कॉरपोरेट बीजों को पुनर्चक्रण एवं उनके दुबारा उपयोग से रोकने के लिए किसानों को रोकने का विशिष्ट अधिकार दिया। इसने एक मिसाल कायम किया और इसके बाद होने वाले सभी अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का रास्ता प्रसस्त कर दिया। यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं जापान ने भी इसी विचार का अनुकरण किया।[3] तभी से 'पिछले दरवाजे से' बीजों का निजीकरण करने के लिए देशों पर राजनयिक और वित्तीय दबाव डालने की एक निरंतर प्रक्रिया जारी है। बीज उद्योग के लिए दांव काफी ऊंचे हैं। वैश्विक रूप से, केवल 10 कंपनियों का ही वाणिज्यिक बीज बाजार के 55 फीसदी पर नियंत्रण है।[4]

लेकिन इन कंपनियों के लिए बाजार हिस्सा अब भी काफी नहीं है। पूरे एशिया, अफ्रीका एवं लातिनी अमेरिका में किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले बीज का 70 से 80 फीसदी हिस्सा खेतों में बचाया गया बीज है जो या तो उनके अपने खेतों से या पड़ोसियों के खेतों से या फिर नजदीक के समुदायों के खेतों से बचाया गया है। इन अप्रभावित क्षेत्रों में, अब कृषि कृषि व्यवसाय क्षेत्र की बड़ी कंपनियां बीज की बचत की जगह बीज बाजारों को स्थापित करना चाहती हैं और इन बाजारों पर नियंत्रण करना चाहती हैं। इसे सुगम बनाने के लिए तथा बीजों पर कॉरपोरेट एकाधिकार स्थापित करने के लिए वे सरकारों से कानूनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं। यहीं पर मुक्त व्यापार समझौते देशों को उनके कानूनों में परिवर्तन करने को बाध्य करने के एक सटीक माध्यम के रूप में सामने आते हैं।

1.'बौद्धिक संपदा' सरकार द्वारा लागू एकाधिकार है। इसका काम यह सुनिश्चित करना है कि लोग किसी चीज का एक खास समय के लिए उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए पैसे अदा करते हैं जिससे कि जिसने भी इसका आविष्कार किया है, वह अपना हिस्सा निकाल ले, अर्थात अपनी क्षतिपूर्ति कर ले। 'पौध किस्म' का अर्थ है ऐसे बीज जो विशिष्ट गुणों के साथ एक विशिष्ट प्रकार के पौधे के रूप में विकसित होंगे।

2.यूपीओवी प्रणाली के तहत, किसान कभी-कभी सुरक्षित किस्मों से बीजों को बचा सकते हैं कि जिससे कि वे उनका फिर से उपयोग कर सकें। यह निर्भर करता है कि यूपीओवी समझौते के किस प्रारूप में किसी देश ने हस्ताक्षर किए और क्या सरकार इस विकल्प का उपयोग करती है। कभी कभी यह किसानों के उनके अपने खेतों में बीजों को दुबाराया किसी किसी विशेष फसल के लिए रोपने या किसी लाईसेंस की अदायगी करने से प्रतिबंधित करता है। पैटेंट प्रणाली के तहत, पैटेंट किए गए बीजों को बिना उनके लिए कीमत चुकाए, उपयोग करना गैर कानूनी है-भले ही कोई पक्षी उन बीजों को आपके खेतों में गिरा दे।

3. ईएफटीए आईसलैंड, लिचटेनस्टेन, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड से निर्मित है।

4. ईटीसी ग्रुप, 'हू ओन्स नेचर' 2008

एफटीए के खिलाफ सितंबर 2013 का विरोध; थाईलैंड में लोकप्रिय आंदोलन उस संभावना को, जो थाईलैंड एवं ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बात करती है, का विरोध कर रहा है, जिसका परिणाम देश के किसानों पर थोपे जाने के रूप में सामने आएगा। (फोटो :एफटीए वॉच)

नवीनतम रुझान

ग्रेन इस तथ्य पर निगरानी रखता आ रहा है कि बहुपक्षीय प्रणाली के बाहर किए गए व्यापार समझौते किस प्रकार 15 वर्षों से देशों को बीजों के लिए उद्योग की बौद्धिक संपदा अधिकारों की इच्छा सूची को अपनाने को विवा करते रहे हैं, और उस प्रक्रिया में वैश्विक मानदंडों को एक ही दिशा में मजबूर करते रहे हैं। हमारे डाटासेट के नवीनतम तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि यह रूझान कम नहीं हो रहा है। वास्तव में, क्षितिज पर चिंताजनक संकेत उभर रहे हैं।

- विश्व की शीर्ष बीज कंपनियों- मौनसैंटो, ड्यूपोंट, लिमाग्रेन एवं सिन्जेंटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ लातिनी अमेरिकी राज्यों द्वारा हाल में किए गए नए व्यापार समझौतों से प्राप्त हुआ है। 2006 में, अमेरिका (मौनसैंटो और ड्यूपोंट के देश) ने पेरू एवं कोलंबिया के साथ बड़े समझौते किए और दोनों देशों को यूपीओवी 1991 का अनुपालन करने को विवा कर दिया। सिन्जेंटा के देश ईएफटीए राज्यों ने 2008 में और ईयू (लिमाग्रेन के देश) ने भी 2012 में यही किया।[5] मध्य अमेरिका में ऐसी ही मिसाल देखने में आई। अमेरिका 2007 में एक बेहद ताकतवर मध्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता करने में सफल रहा जिसने सभी देशों को यूपीओवी 1991 का अनुपालन करने को मजबूर कर दिया। ईएफटीए ने पिछले वर्ष यही किया।
- एक अधिक मजबूत मालिकाना बीज बाजार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हाल में अफ्रीका में लिया गया। 10 वर्षों की बातचीत के बाद, 2014 में ईयू और उप-सहारा अफ्रीकी राज्यों के बीच आर्थिक साझीदारी समझौते (ईपीए) संपन्न हुए। उनमें से अधिकांा 'केवल'अभी वस्तुओं में व्यापार को उदार बनाते हैं, लेकिन उनमें ब्रुसेल्स के साथ समान बौद्धिक संपदा मानकों पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता भी निहित है। उम्मीद है कि वे मानक उन पर आधारित होंगे जिन पर कैरेबियाई राज्य पहले ही अपने 2008 के ईपीए में सहमति जता चुके हैं : एक प्रतिज्ञा की वे कम से कम यूपीओवी में शामिल होने पर विचार करेंगे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक अफ्रीकी राज्यों के पास एक मानक के रूप में यूपीओवी को अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है, और वास्तव में उन्होंने अपनी खुद की पौध किस्म सुरक्षा की प्रणाली बनाने का प्रयास किया है।[6] और जहां यह सच है कि एंग्लोफोन अफ्रीकन रीजनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (एआरआईपीओ) एवं फ्रैंकोफोन अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन (ओएपीआई) जैसी अफ्रीकी इकाइयां पहले ही ईयू व्यापार समझौतों के तहत यूपीओवी में शामिल हो रही हैं, ये खुद ही उनमें शामिल होने वाले देश होंगे। इस सीमा की दिशा में और आगे कदम बढ़ाते हुए, अफ्रीका अपने भीतर सुसंगति लाने का प्रयास कर रहा है और इसके उप क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक आपस में विलय करके तथा एकत्रित होकर संभवतः 2017 तक एकल महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र बना लेंगे। उम्मीद है कि ये अपने साथ पूरे क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों की एक आंतरिक सुसंगति लाएंगे जिससे फंदा और सख्त हो जाएगा।
- अंतःप्रांत साझीदारी (टीपीपी) समझौता संभवतः एाया एवं प्रांत क्षेत्र में बीजों पर नियंत्रण के किसानों के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के लिहाज से सबसे डरावना एफटीए है, जिस पर वर्तमान में बातचीत हो रही है। ऐसा अमेरिका की वजह से है जो 11 अन्य प्रांत देशों के साथ बातचीत का नेतृत्व कर रहा है और दबाव बना रहा है। 2014 में बातचीत के लीक हुए दस्तावेजों से प्रदर्शित होता है कि अमेरिका न केवल सभी टीपीपी राज्यों में यूपीओवी 1991 को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है बल्कि पौधों एवं पशुओं को पूरी तरह पेटेंट किए जाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। हम अभी भी यह नहीं जानते कि क्या ये मांगें वर्तमान में अमेरिका एवं

इक्वाडोर भी कोलंबिया और पेरू के साथ हस्ताक्षरित विषय वस्तु के आधार पर ईयू के साथ बातचीत कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में एकता मार्च : अपने देश से दूर रहने वाले कोलंबिया निवासियों को भी यह जान कर झटका लगा कि किस प्रकार अमेरिका और यूरोपीय संघ के व्यापार समझौतों ने बोगोटा को किसानों के बीजों को गैर कानूनी बनाने के लिए बाध्य कर दिया है। (स्त्रोतः इरिक एंडरसन/फ्लिकर)

ईयू के बीच हो रही अंतःअटलांटिक व्यापार एवं निवेश साझीदारी (टीटीपीपी) बातचीतों में भी सामने आएंगी, क्योंकि इसके दस्तावेज आम जनता की पहुंच से बाहर हैं।

- जहां इसकी सीमा कि किस चीज का निजीकरण किया जाना चाहिए, विस्तृत हो रही है, उसी प्रकार इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भी बढ़ रहे हैं। विभिन्न एफटीए के तहत अमेरिका जैसे देश अपेक्षा करते हैं कि जो किसान बीजों पर इन नए बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन पर दीवानी कानून नहीं बल्कि फौजदारी कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। कुछ मामलों, जैसे हाल में संपन्न हुए ईयू-कनाडा व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) में, केवल उल्लंघन के संदेह पर भी किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है या उनके बैंक खातों का इस्तेमाल बंद कर दिया जा सकता है।[7]

बड़ी लड़ाइयों के आसार

अच्छी बात यह है कि सामाजिक आंदोलन इस बैठक को आसानी से नही ले रहे। वे इसको लेकर बहुत सक्रिय, मुखर, निर्भीक और संगठित बन रहे हैं। 2013 में, सभी क्षेत्रों के कोलंबियावासी हिल गए थे जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि किस प्रकार अमेरिका एवं यूरोपीय संघ के साथ एफटीए का परिणाम उनकी अपनी सरकार द्वारा किसानों के बचाए गए टनों बीज को नट कर दिए जाने के रूप में सामने आया क्योंकि किसानों को नए नियमों के बारे में कुछ पता नही नहीं था। एक व्यापक राष्ट्रीय कृषि हड़ताल के बीच में हुआ उपद्रव इतना जोरदार था कि सरकार को वास्तव में इस कानून को अस्थायी रूप से स्थगित कर देने और किसानों के प्रतिनिधियों से सीधे मुद्दे की जांच करने पर सहमति देनी पड़ी।[8]

2014 में, ग्वाटेमाला में अराजकता का दौर शुरू हो गया जब आम जनता ने यह महसूस किया कि सीएएफटीए जैसे व्यापार समझौतों के कारण सरकार बिना उचित बातचीत या बहस के यूपीओवी 1991 को लागू करने का प्रयास कर रही है।[9]

लोग इस बात पर नाराज थे कि, जैसाकि आवयक है देशज समुदायों से सलाह मविरा नहीं किया गया था, खासकर जब, अंततोगत्वा कानून का उद्देश्य देशज बीजों की जगह मौनसैंटो या सिन्जेंटा जैसी विदेशी कंपनियों के वाणिज्यिक बीजों का उपयोग करना है। कई महीनों के दबाव के बाद, सरकार को झुकना पड़ा और उसने इस कानून को वापस ले लिया। 10. लेकिन- जैसाकि कोलंबिया में हुआ- वापसी का यह संकेत केवल अस्थायी है जबकि अन्य कदमों पर विचार किया जाएगा। चिली और अर्जेन्टीना जैसे लातिनी अमेरिका के कुछ अन्य हिस्सों में यूपीओवी 1991, जिसे अक्सर 'मौनसैंटो कानून'कह कर पुकारा जाता है, को क्रियान्वित करने के प्रयासों को भी सामाजिक आंदोलनों द्वारा सघनता से एवं सफलतापूर्वक विरोध किया जा रहा है।

अफ्रीका में भी, जिन देशों में ये लागू किए जा रहे हैं, पौध किस्म सुरक्षा व्यवस्थाओं के खिलाफ जन विरोधों में तेजी आ रही है। घाना में, यूपीओवी 1991 कानून को लागू किए जाने से रोकने के लिए एक जीवंत अभियान चल रहा है।[11] अन्य जगहों

---

6. उदाहरण के लिए, अफ्रीकी एकता के संगठन ने समुदाय अधिकारों पर आधारित पौध किस्म सुरक्षा पर अपने खुद के मॉडल कानून का प्रारूप तैयार किया।

7. देखें, नेशनल्स फार्मर्स यूनियन, 'सीईटीए प्लस बिल-टू मच पावर फॉर सीड कंपनीज' जून 2014

अमेरिका के साथ ग्वाटेमाला का व्यापार समझौता उसे यूपीओवी संधि- पत्र को मानने के लिए बाध्य करता है। लेकिन आम लोगों के विरोध ने सरकार को इस उद्देश्य के लिए पारित राष्ट्रीय कानून को वापस लेने के लिए विवश कर दिया। (फोटो : रॉल जमोरा)

पर अफ्रीका में व्यापक आधार वाले एलायंस फॉर फूड सॉवरेनिटी जैसे सिविल सोसाइटी नेटवर्क यूपीओवी आधारित कानून को अपनाने तथा यूनियन में शामिल होने से एआरआईपीओ को रोकने के लिए अपील दायर कर रहे हैं। 12.

कॉरपोरेट हित समूहों ने उन चीजों का निजीकरण करने की हद से ज्यादा कोशिश की है जिसे लोग सार्वजनिक संपत्ति समझते हैं। यह केवल बीजों तक सीमित नहीं है। यही प्रक्रिया जमीन, खनिज अवयव, हाइड्रोकार्बन, पानी, ज्ञान, इंटरनेट, यहा तक कि कुछ साल पहले तक एवियन फ्लू या अब इबोला वायरस जैसे महत्वपूर्ण माइक्रोऑर्गेनिज्म तक जारी है। लोग इन चीजों के कुछ कंपनियों या रक्षा मंत्रालयों के विशिष्ट नियंत्रण के तहत पड़ने से रोकने के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इन लड़ाइयों में भाग लेने का एक अच्छा तरीका टीटीआईपी, सीईटीए, टीपीपी एवं ईपीए जैसे नए महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों को रोकने के लिए अभियानों में शामिल होना है और मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कोलंबिया और चिली के साथ अमेरिका एवं यूरोपीयन देशों के पुराने समझौतों को निरस्त करना है। व्यापार समझौतों के दौरान ही ऐसे ज्यादातर नियम लिखे जाते हैं और वहीं पर इन्हें मिटा दिए जाने चाहिए।

व्यापार समझौते जैवविविधता का निजीकरण कर रहे हैं

यह सारिणी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार तथाकथित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर किए गए, का इस्तेमाल वैश्विक मानकों से आगे जाकर बीजों के निजीकरण एवं नए नियमों की स्थापना की दिशा में किया जा रहा है।

1994 में लागू ट्रिप्स बीजों के ऊपर 'बौद्धिक संपदा' अधिकारों के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था और आज भी है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मौनसैंटो या सिन्जेंटा जैसी कंपनियां, जो पौध प्रजनन एवं अनुवांशिक अभियांत्रिकी पर पैसे खर्च करती हैं, किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए बीजों को फिर से उपयोग में लाने से उन्हें क्या उसी प्रकार रोक सकती हैं जिस प्रकार हॉलीवुड या माइक्रोसॉफ्ट लोगों को फिल्मों या सॉफ्टवेयर को उन पर कानूनी या प्रौद्योगिकीय अवरोध लगाकर उनकी नकल करने या उन्हें साझा करने पर रोक लगाने का प्रयास करती हैं।

'जीवन के पेटेंटीकरण'की मूल धारणा का ही भारी विरोध हो रहा है। इस वजह से, डब्ल्यूटीओ समझौता सरकारों के बीच एक प्रकार का वैश्विक करार था। इसमें कहा गया है कि देश पौधों एवं पशुओं को (सूक्ष्म जीवधारियों को छोड़कर) अपने पैटेंट कानूनों से बाहर रखना चाहिए, लेकिन उन्हें पौध किस्मों पर कुछ तरह से बौद्धिक संपदा सुरक्षा अवश्य मुहैया कराना चाहिए, हालांकि इसमें यह निर्दिश्ट नहीं किया गया है कि इसे किस प्रकार से किया जाना है।

व्यापार समझौतों पर बातचीत डब्ल्यूटीओ के दायरे से बाहर की गई। खासकर, जिस बातचीत की शुरूआत दुनिया के विकसित देशों और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा की गई, उन्होंने डब्ल्यूटीओ से ज्यादा से ज्यादा दूर रहने का प्रयास किया। उन्हें अक्सर (ए) पौधों या पशुओं को पैटेंट करने (बी) बीजों

8. ग्रेन **'कोलंबिया फार्मर्स अपराइजिंग पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन सीड्स'** सितंबर 2013।

9.शायद लोगों की नजरों में 2013 का ईएफटी-मध्य अमेरिका एफटीए अधिक दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो सीएएफटीए के रूप में ऐसी ही मांगें रखता है।

10.देखें ईएफई 'ग्वोटेमाला रिपील्स प्लांट्स ब्रीडर राइट्स लॉ' 5 सितंबर, 2014

घाना के आकरा में मौनसैंटो के खिलाफ मार्च- ईयू के साथ संपन्न एक अंतरिम आर्थिक साझीदारी समझौता में शामिल एक अनुच्छेद के तहत, घाना की सरकार को पारंपरिक ज्ञान एवं आनुवंशिक संसाधनों समेत बौद्धिक संपदा पर नियमों पर बातचीत करनी होगी।

के लिए पैटेंट जैसी प्रणाली मुहैया कराने के लिए नई पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए यूनियन (यूपीओवी) के नियमों का अनुकरण और/या (सी) पैटेंट सुरक्षा के उद्देश्य के लिए सूक्ष्म-अवयवों के जमाओं की स्वीकृति पर बुडापेस्ट समझौते में शामिल होने के लिए देशों की जरूरत पड़ती है। ये कदम छोटे एवं देशज क्राक समुदायों की कीमत पर कृषि व्यवसाय कंपनियों के एकाधिकारी शक्तियों को और मजबूत बना देते हैं। उदाहरण के लिए, चाहे पैटेंट कानून के रूप में हो या यूपीओवी, ये नियम आम तौर पर किसानों के लिए बीजों को, जिन्हें वे तथाकथित सुरक्षित किस्म बताते हैं, बचाने, आदान प्रदान करने, बेचने या संशोधित करने को गैर कानूनी बना देते हैं।

यह सारिणी इस बात पर फोकस करती है कि विभिन्न व्यापार समझौतों के अनुसार 'किस चीज'का अनिवार्य रूप से निजीकरण किया जाना चाहिए। यह प्रवर्तन (वस्तुओं की जब्ती, कैद आदि) के लिए कारण नहीं बताती जोकि कई एफटीए में डब्ल्यूटीओ में सहमत नियमों से आगे चली जाती है और ग्रामीण समुदायों के लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा सरदर्द बनती जा रही है।

इनमें से अधिकांा समझौते प्रकृति में द्विपक्षीय हैं, लेकिन कई एकपक्षीय या बहुपक्षीय हैं। और जहां उनमें से ज्यादातर व्यापार समझौते हैं, कुछ क्षेत्रवार बौद्धिक संपत्ति सहयोग समझौते हैं। इस डाटासेट का काम प्रगति पर है। अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें या दुरूस्त करना चाहें तो आप कृपया हमें ग्रेनऐटदरेटग्रेनडॉटओअरजी पर संपर्क करें। धन्यवाद।

11.देखें फूड सॉवरेंटी घाना के वेबसाइट्स http:/foodsovereigntyghana.org/ and Panafricanist International http:panafricanistinternational.org

12.' एएफएसए एआरआईपीओ, एयू एवं यूएनईसीए से किसानों के अधिकारों एवं भोजन के अधिकार की सुरक्षा के लिए अपील करती है' 2 जुलाई 2014

Going further

— GRAIN, "Seed laws in Latin America: the offensive continues, so does popular resistance", December 2013.

— Biodiversidad, " Leyes de semillas yotros pesares ", September 2014 (Spanish only).

— Daily updates on trade deals in English, Spanish and French at http://bilaterals.org or @bilaterals_org or https://www.facebook.com/bilaterals.org.

अफ्रीका एवं मध्य पूर्व

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 1

ईएफटीए-अल्जीरिया एफटीए/अन्वेषण

ईएफटीए-मिस्र एफटीए/2007/लागू

मिस्र यूपीओवी (1978 या 1991 अधिनियम) में शामिल होने तथा 2011 तक बुडापेस्ट करार के प्रति सहमत होने के लिए उपकृत है। 'प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों'में पैटेंट अनिवार्य रूप से मुहैया कराया जाना चाहिए। ('कम से कम' जो ट्रिप्स समझौते के तहत शामिल हैं) 2

ईएफटीए-खाड़ी सहयोग परिषद 2 एफटीए/2009/लागू

जीसीसी को एक अनुलग्नक, जिसमें जनवरी 2016 तक बौद्धिक संपदा अधिकारों पर प्रावधान सन्निहित हों, पर ईएफटीए के साथ बातचीत को अनिवार्य रूप से संपन्न कर लेना चाहिए। 4,

ईएफटीए-जॉर्डन एफटीए/2001/लागू

जॉर्डन को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल होना चाहिए और 2006 तक बुडापेस्ट करार के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। जॉर्डन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 'एक ऐसे स्तर पर प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अन्वेषणों के लिए पर्याप्त एवं कारगर पैटेंट सुरक्षा हो जो वर्तमान यूरोपीय पैटेंट संधि पत्र के समान हो' जो अंतःजीनी पौधों एवं पशुओं के पैटेंटीकरण की अनुमति देता है। 5.

ईएफटीए-लेबनान एफटीए/2004/लागू

जॉर्डन को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1978 या 1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और 2008 तक बुडापेस्ट करार के प्रति सहमत हो जाना चाहिए।

ईएफटीए-मोरक्को एफटीए/2000/लागू

मोरक्को को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल होना चाहिए और 2000 तक बुडापेस्ट करार के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। मोरक्को को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 'एक ऐसे स्तर पर प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अन्वेषणों के लिए पर्याप्त एवं कारगर पैटेंट सुरक्षा हो जो वर्तमान यूरोपीय पैटेंट संधि पत्र के समान हो'जो अंतःजीनी पौधों एवं पशुओं के पैटेंटीकरण की अनुमति देता है। 7.

ईएफटीए-फिलीस्तीनी प्राधिकरण एफटीए/1998/लागू

फिलीस्तीनी प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों'को क्रियान्वित करना चाहिए। 8.

ईएफटीए-ट्यूनीशिया एफटीए/2004/लागू

ट्यूनीशिया को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1978 या 1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और 2010 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। ट्यूनीशिया को आईपीआर के सभी समझौतों के प्रति सहमत होने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए जिसके ईएफटीए राज्य पक्षकार हैं। 9.

यूरोपीय संघ

कोटोनोउ समझौता/2000/लागू

पक्षकार पौधों की किस्मों पर एवं जैवप्रौद्योगिकीय अन्वेषणों पर पैटेंटों की पर्याप्त एवं कारगर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। 10.

कोटोनोउ-अल्जीरिया एफटीए/2002/लागू

अल्जीरिया 2010 तक यूपीओवी (1991 अधिनियम) के प्रति सहमत हो जाएगा और इसे क्रियान्वित करेगा, हालांकि अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं तो एक कारगर अद्वितीय प्रणाली के क्रियान्वयन को आरोहण की जगह विस्थापित किया जा सकता है। 11. अल्जीरिया को अनिवार्य रूप से बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। 12.

ईयू-मध्य अफ्रीका 13 ईपीए/बातचीत जारी

केवल कैमरून ने एक अस्थायी ईपीए पर हस्ताक्षर किया एवं इसकी अभिपुष्टि की जो बौद्धिक संपदा अधिकारों पर नियमों की बातचीत के लिए एक आधार की स्थापना करता है। 14. इनकी प्रतिकृति ईयू-कैरेबियाई ईपीए पर किए जाने की उम्मीद है।

ईयू-पूर्वी अफ्रीकी समुदाय 13 ईपीए/2007/प्रारंभ

2007 में एक संरचना ईपीए के एक परियुक्ति खंड के तहत शुरूआत हुई लेकिन इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं हो सका, ईएसी सदस्य राज्यों ने बौद्धिक संपदा पर नियमों पर और आगे बातचीत करने पर सहमति जताई। इनकी प्रतिकृति ईयू-कैरेबियाई ईपीए पर किए जाने की उम्मीद है।

ईयू-पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी अफ्रीकी समुदाय 17 ईपीए/2009/अंतरिम रूप से आवेदन किया गया

2009 में एक अंतरिम ईपीए के एक परियुक्ति खंड के तहत हस्ताक्षर किए गए एवं 2012 से अंतरिम रूप से किए गए आवेदन में, मेडागास्कर, मॉरीशस, सिचेलस एवं जिम्बाब्वे ने बौद्धिक संपदा पर नियमों पर आगे बातचीत करने पर सहमति जताई। 18. इनकी अनुकृति ईयू-कैरेबियाई ईपीए पर किए जाने की उम्मीद है।

ईयू-पचिमी अफ्रीकी 19 ईपीए/2014/सहमत

2014 में संपन्न एक अंतरिम ईपीए के एक परियुक्ति खंड के तहत, पक्षकारों ने पारंपरिक ज्ञान एवं अनुवांाकि संसाधनों समेत बौद्धिक संपदा पर नियमों पर आगे बातचीत करने पर सहमति जताई। 20. इनकी प्रतिकृति ईयू-कैरेबियाई ईपीए पर किए जाने की उम्मीद है।

ईयू-मिस्र एफटीए/2001/सहमत

मिस्र को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल होना चाहिए और समझौते के लागू होने के पांच वर्षों के भीतर बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। 21. इस समझौते को एक गहरे और विस्तृत मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा 2012 के बाद भी विस्तारित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ईयू का लक्ष्य बौद्धिक संपदा नियमों को और 'एकरूप' करना है। 22,

ईयू-जीसीसीएफटीए/ बातचीत जारी

ईयू-ईरान एफटीए/ बातचीत जारी

ईयू-जॉर्डन एफटीए/1997/लागू

जॉर्डन को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल होना चाहिए और 2007 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। 23. इस समझौते को एक गहरे और विस्तृत मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा 2012 के बाद भी विस्तारित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ईयू का लक्ष्य बौद्धिक संपदा नियमों को और 'एकरूप'करना है।

ईयू-लेबनान एफटीए/2002/लागू

लेबनान को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और 2008 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। .25

ईयू-मोरक्को एफटीए/2000/लागू

मोरक्को को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और 2004 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। इस समझौते को एक गहरे और विस्तृत मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा 2012 के बाद भी विस्तारित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ईयू का लक्ष्य बौद्धिक संपदा नियमों को और 'एकरूप' करना है। 27.

ईयू-फिलीस्तीनी प्राधिकरण एफटीए/1997/लागू

फिलीस्तीनी प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों' को क्रियान्वित करना चाहिए। .28

ईयू-दक्षिण अफ्रीका एफटीए/1999/लागू

दक्षिण अफ्रीका जैवप्रौद्योगिकीय अन्वेषणों पर पैटेंटों के लिए पर्याप्त एवं कारगर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दक्षिण अफ्रीका को अनिवार्य रूप से आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों'को क्रियान्वित करना चाहिए और आईपीआर सुरक्षा के ट्रिप्स मानकों से आगे जाकर इसकी शुरूआत करनी चाहिए। 29.

ईयू-दक्षिण अफ्रीकी विकास सहयोग 30 ईपीए/2014/संपन्न

एसएडीसी राज्यों को बाद के किसी चरण में ईयू के साथ बौद्धिक संपदा पर बातचीतों में शामिल होने पर विचार कर सकता है। 31.

ईयू-सीरिया एफटीए/2004/सहमत

सीरिया ट्रिप्स समझौता समेत, केवल वहीं तक सीमित नहीं, 'सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों'का अनुकरण करेगा। सीरिया अनुलग्नक 6 की प्रयोजनीयता के 5 वर्षों के भीतर बुडापेस्ट समझौता एवं यूपीओवी संधि पत्र (1991) से सहमति व्यक्त करेगा। बहरहाल, सीरिया यूपीओवी के साथ आरोहण को पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए एक 'पर्याप्त एवं कारगर'प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ विस्थापित कर सकता है। 32.

ईयू-ट्यूनीशिया एफटीए/1998/लागू

ट्यूनीशिया को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और 2002 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। ट्यूनीशिया को अनिवार्य रूप से आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों'को क्रियान्वित भी करना चाहिए। 33. इस समझौते को एक गहरे और विस्तृत मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा 2012 के बाद भी विस्तारित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से ईयू का लक्ष्य बौद्धिक संपदा नियमों को और 'एकरूप' करना है। 34.

ईयू-पचिम अफ्रीका 35. ईपीए/2014/सहमत

एक अंतरिम ईपीए के एक परियुक्ति खंड के तहत, पक्षकारों ने बौद्धिक संपदा पर नियमों पर आगे बातचीत करने पर सहमति जताई है। इनकी अनुकृति ईयू-कैरेबियाई ईपीए पर किए जाने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र

अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉरचुनिटी एक्ट /2000/लागू

एजीओए को अमेरिकी व्यापार लाभ 38.-योग्य देशों की एकपक्षीय माप उस सीमा तक की जाती है जहां वे आईपीआर सुरक्षा के ट्रिप्स मानकों से आगे चले जाते हैं। 36.

अमेरिका-बहरीन एफटीए/2004/लागू

बहरीन को यूपीओवी में अनिवार्य रूप से शामिल होकर इसे लागू करना चाहिए तथा लागू होने के एक साल के भीतर बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत होना चाहिए। 37

अमेरिका-जॉर्डन एफटीए/2000/लागू

जार्डन को यूपीओवी में अनिवार्य रूप से शामिल होकर इसे एक साल के भीतर लागू करना चाहिए तथा आंकि रूप से बुडापेस्ट समझौते को क्रियान्वित करना चाहिए। जार्डन पैटेंट कानून से पौधों या पशुओं को बहिष्कृत नहीं भी कर सकता है। 38.

अमेरिका- मोरक्को एफटीए/2004/लागू

मोरक्को को पौधों एवं पशुओं पर अवश्य पैटेंट मुहैया कराना चाहिए। मोरक्को को 2006 तक यूपीओवी संधि पत्र (1991) एवं बुडापेस्ट समझौते को भी अभिपुष्ट करना चाहिए। 39

अमेरिका- यमन एफटीए/2006/हस्ताक्षरित

यमन को यूपीओवी (1991 अधिनियम) में अवश्य शामिल हो जाना चाहिए तथा जिस वक्त तक एफटीए लागू होता है बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। हालांकि यह अपने पैटेंट कानूनों से पशुओं (सूक्ष्म अवयवों को छोड़ कर) को बहिष्कृत कर सकता है, यमन को पौधों को पैटेंट की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। 40.

अमेरिका- दक्षिण अफ्रीकी कस्टम यूनियन 41 एफटीए/बातचीत स्थगित
(अमेरिकी प्रस्तावों के 'दूरगामी'बौद्धिक संपदा प्रावधान एक वजह थी कि क्यों 2006 में बातचीत टूट गई। 2008 में, दोनों पक्षों ने बातचीत को जारी रखने के लिए एक व्यापार एवं निवेश सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।)
अमेरिका- संयुक्त अरब अमीरात एफटीए/बातचीत स्थगित
अमेरिकाज
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईएफटीए-मध्य अमेरिका एफटीए/2013/लागू
कोस्टा रिका एवं पनामा को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 या 1978 अधिनियम, निर्भर करता है) के प्रावधानों को क्रियान्वित करना चाहिए।42 ग्वाटेमाला एवं होंडारूस के साथ बातचीत पर वर्तमान में विराम है।
ईएफटीए-चिली एफटीए/2003/लागू
चिली को 2007 तक अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 या 1978 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए तथा बुडापेस्ट समझौते के प्रति 2009 तक सहमत हो जाना चाहिए। 43.
ईएफटीए-कोलंबिया एफटीए/2008/लागू
कोलंबिया को 2007 तक अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 या 1978 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए तथा बुडापेस्ट समझौते के प्रति जुलाई 2011 तक सहमत हो जाना चाहिए। 44.
ईएफटीए- मैक्सिको एफटीए/2000/लागू

मैक्सिको को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल हो जाना चाहिए तथा बुडापेस्ट समझौते के प्रति 2002 तक सहमत हो जाना चाहिए। 45
ईएफटीए-पेरू एफटीए/2008/लागू
पेरू को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 या 1978 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए तथा बुडापेस्ट समझौते के प्रति जुलाई 2011 तक सहमत हो जाना चाहिए। 46.

यूरोपीय संघ

कोटोनोउ समझौता/2000/लागू
संबंधित पक्ष पौध किस्मों पर एवं जैवप्रौद्योगिकीय अन्वेषणों पर पैटेंटों के पर्याप्त एवं कारगर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत स्वीकार करते हैं। 47
ईयू-आंडियन समुदाय एफटीए/2012/ अंतरिम रूप से आवेदन
कोलंबिया एवं पेरू तथाकथित 'किसानों के विशेषाधिकार' समेत यूपीओवी (1991) को क्रियान्वित करेंगे (प्रजनक के अधिकारों का सम्मान करते हुए सुरक्षित बीजों का फिर से उपयोग करते हुए), (बोलिविया एवं इक्वाडोर के साथ समझौते का विस्तार)
ईएफटीए-कैरेबियाई 49 ईपीए/2008/लागू
कैरेबियाई राज्यों को बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत कराने एवं यूपीओवी (1991 अधिनियम) के प्रति सहमत होने पर विचार करता है। पक्षकारों को पैटेंट कानून की संरचना के भीतर पारंपरिक ज्ञान एवं अनुवांशिक संसाधनों की कानूनी सुरक्षा को और आगे विकसित करने की प्रतिबद्धता करता है। 50.
ईयू-मर्कोसुर 51. एफटीए/बातचीत जारी
ईयू-मैक्सिको एफटीए/2000/लागू
मैक्सिको को लागू होने के तीन वर्ष के भीतर बुडापेस्ट समझौते के प्रति अवश्य सहमत हो जाना चाहिए। मैक्सिको आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानक भी' मुहैया कराएगा। 52.
ईयू-यूएस एफटीए/ बातचीत जारी

जापान

जापान-चिली एफटीए/2007/लागू
चिली को अनिवार्य रूप से 2009 तक यूपीओवी (1991) में शामिल हो जाना चाहिए। 53.
ईयू-कोलंबिया एफटीए/ बातचीत जारी
संयुक्त राष्ट्र
आंडियन ट्रेड प्रमोान एवं ड्रग इरैडिकेान अधिनियम/2002/लागू
बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं पेरू को अमेरिकी व्यापार लाभ की माप एकपक्षीय रूप से उस सीमा तक मापी जाती है जब वे आईपीआर सुरक्षा के ट्रिप्स मानकों से आगे चले जाते हैं। 54
अमेरिकाज का मुक्त व्यापार क्षेत्र/ बातचीत स्थगित
अमेरिका की बातचीत की स्थिति पैटेंट कानून से पौधों और पशुओं के लिए 'बहिष्करण नहीं'की है। वास्तविक बातचीत के प्रारूप में यूपीओवी, पैटेंट पौधों एवं पशुओं तथा पारंपरिक ज्ञान को आईपीआर व्यवस्था के तहत लागू करने के कई प्रस्ताव सन्निहित हैं। 55.
उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता/1994/लागू
मैक्सिको को अवश्य क्रियान्वित करना चाहिए और लागू होने के दो वर्षों के भीतर यूपीओवी में शामिल हो जाना चाहिए।

अंतःप्रांत साझीदारी समझौता 57/बातचीत जारी

लीक हुए नवीनतम दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा प्रस्ताव है कि सभी पक्षों को यूपीओवी (1991) और बुडापेस्ट समझौते में शामिल हो जाने के लिए उपकृत हैं। अमेरिका, जापान और सिंगापुर का यह भी प्रस्ताव है कि सभी पक्ष पौधों एवं पशुओं या वैकल्पिक रूप से पौध-संबंधित अन्वेषणों के लिए पैटेंट उपलब्ध कराएंगे (इनमें पौध किस्म भी शामिल है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वह यूपीओवी सुरक्षा के लिए अयोग्य किस्मों तक ही सीमित रहे)। यह समझौता अनुवांशिक संसाधनों एवं जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के वितरण एवं उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा सकता है। 58.

यूएस-कैरेबियाई बेसिन ट्रेड पार्टनरशिप एक्ट/ 2000/ लागू

24 योग्य देशों तक अमेरिकी व्यापार लाभ की माप उस सीमा तक की जाती है जिसके आगे वे आईपीआर सुरक्षा के ट्रिप्स मानकों तक जा सकते हैं। 59

यूएस-चिली एफटीए/2003/लागू

चिली को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए और बिना किसी अपवाद के प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में किसी अन्वेषण पर पैटेंट मुहैया करना चाहिए। 'प्रत्येक पार्टी इस समझौते के लागू होने के चार वर्षों के भीतर कानून को विकसित एवं प्रस्ताव रखने का उपयुक्त प्रयास करेगी जो ऐसे पौधों के लिए जो नए हैं, जिनमें एक अन्वेषक कदम शामिल है और जो औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है, के लिए पैटेंट सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। ...60.

यूएस-कोलंबिया एफटीए/2006/लागू

कोलंबिया को अनिवार्य रूप से 2008 तक यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए या लागू करना चाहिए, जो भी बाद में, और बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। कोलंबिया को पौधों पर पैटेंट मुहैया करने के लिए 'सभी विवेकपूर्ण प्रयास' भी करने चाहिए। एक बार ऐसा हो जाएगा तो यह इस नीति को उल्टा नहीं कर पाएगा। 61.

यूएस-डोमिनिकन रिपब्लिक-सेंट्रल अमेरिका एफटीए/2004/लागू

कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडारूस एवं निकारागुआ को अनिवार्य रूप सेयूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए या पौधों पर पैटेंट उपलब्ध कराना चाहिए। जो समझौते के लागू होने के समय तक पौधों पर पैटेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए 'सभी विवेकपूर्ण प्रयास' करने चाहिए। एक बार वे ऐसा कर देते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से इस नीति को बरकरार रखना चाहिए। 62.

यूएस-इक्वाडोर एफटीए/बातचीत स्थगित

यूएस-इक्वाडोर आईपीआर समझौता/ 1993/हस्ताक्षरित लेकिन लागू नहीं

इक्वाडोर को अनिवार्य रूप से यूपीओवी के अनुरूप होना चाहिए अगर यह पौध किस्मों पर पैटेंट की मंजूरी नहीं देता है। 63.

यूएस-निकारगुआ आईपीआर समझौता/ 1998/लागू

निकारगुआ को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल हो जाना चाहिए। निकारगुआ पैटेंट कानूनों से पौधों या पशुओं को बहिष्कृत नहीं कर सकता है।

यूएस-पनामा एफटीए/2006/लागू

पनामा को अनिवार्य रूप से 2010 तक यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए या लागू करना चाहिए, जो भी बाद में, और बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। पनामा को पौधों पर पैटेंट मुहैया करने के लिए 'सभी विवेकपूर्ण प्रयास' भी करने चाहिए। एक बार ऐसा हो जाएगा तो यह इस नीति को उल्टा नहीं कर पाएगा। 66.

यूएस-पेरू एफटीए/2006/लागू

पेरू को अनिवार्य रूप से 2010 तक यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए या लागू करना चाहिए, जो भी बाद में, और बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। पेरू को पौधों पर पैटेंट मुहैया करने के लिए 'सभी विवेकपूर्ण प्रयास' भी करने चाहिए। एक बार ऐसा हो जाएगा तो यह इस नीति को उल्टा नहीं कर पाएगा।

यूएस-त्रिनिदाद एंड टूबैगो आईपीआर समझौता/ 1994/लागू

त्रिनिदाद एंड टूबैगो को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करना चाहिए और यूपीओवी में शामिल होने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। 67.

एशिया एवं प्रांत

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ

ईएफटीए-चीन एफटीए/अध्ययन शुरू किया जाना है

ईएफटीए-हांगकांग एफटीए/2011/लागू

हांगकांग को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 या 1978 अधिनियम) और बुडापेस्ट समझौते को क्रियान्वित करना चाहिए। 68.

ईएफटीए-भारत एफटीए/बातचीत जारी

ईएफटीए-इंडोनेशिया एफटीए/बातचीत जारी

ईएफटीए-कोरिया एफटीए/2005/हस्ताक्षरित

कोरिया पौधों एवं पशुओं के पैटेंट के लिए उपकृत है। 69.

ईएफटीए-मलेशिया एफटीए/बातचीत जारी

ईएफटीए-रूस, बेलारूस एवं कजाकिस्तान एफटीए/बातचीत जारी

ईएफटीए-थाईलैंड एफटीए/बातचीत जारी

यूरोपीय संघ

कोटोनोउ समझौता / 2000/ लागू
संबंधित पक्ष पौध किस्मों पर एवं जैवप्रौद्योगिकीय अन्वेषणों पर पैटेंटों के पर्याप्त एवं कारगर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत स्वीकार करते हैं। 70.
ईयू-आसियान 71 एफटीए/बातचीत जारी
ईयू-बांग्लादेश कोऑपरेशन समझौता/2001/लागू
बांग्लादेश को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए और 2006 तक बुडापेस्ट समझौते के प्रति सहमत हो जाना चाहिए। 72.
ईयू-भारत एफटीए/बातचीत जारी
लीक हुए दस्तावेज प्रारूप प्रदर्शित करते हैं कि पक्षकार अपने संबंधित कानूनों के अनुसार, पौध किस्मों के लिए सुरक्षा मुहैया कराने पर समझौता करना चाह रहे हैं। 73.
ईयू-कोरिया ट्रेड एंड कोऑपरेशन समझौता/2001/लागू
कोरिया जितना ाीघ्र व्यावहारिक होगा, यूपीओवी संधि पत्र (1991 अधिनियम) और बुडापेस्ट समझौते में शामिल होने के लिए प्रयास करेगा। 74.
ईयू- कोरिया एफटीए/ 2011/लागू
कोरिया यूपीओवी (1991) का अनुपालन करेगा। 75.
ईयू-मलेशिया एफटीए/बातचीत जारी
ईयू-प्रशांत 76/बातचीत जारी
ईयू-सिंगापुर ईपीए/बातचीत प्रारंभ
पक्षकार तथाकथित किसानों के विशेषाधिकार (प्रजनक के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सुरक्षित बीज का पुनर्उपयोग करना) समेत यूपीओवी (1991) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हैं। 77.
ईयू-श्रीलंका कोऑपरेशन समझौता/1995/लागू
श्रीलंका आईपीआर सुरक्षा के 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों'को क्रियान्वित करेगा। 78.
ईयू-थाईलैंड एफटीए/बातचीत जारी
ईयू-वियतनाम एफटीए/बातचीत जारी

जापान

जापान-ब्रुनेई एफटीए/2007/लागू
ब्रुनेई यूपीओवी और बुडापेस्ट समझौते का पक्षकार बनने के लिए प्रयास करेगा। 79.
जापान-मलेशिया एफटीए/2005/लागू
मलेशिया को अनिवार्यतः अंतरराष्ट्रीय रूप से समन्वित प्रणाली के अनुरूप नई पौध किस्मों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मलेशिया सुनिश्चित करेगा कि नई पौध किस्मों से संबंधित अधिकारों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो।'80.
जापान-थाईलैंड एफटीए/2007/लागू
थाईलैंड को अनिवार्यतः अंतरराष्ट्रीय रूप से समन्वित प्रणाली के अनुरूप नई पौध किस्मों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए थाईलैंड सुनिश्चित करेगा कि नई पौध किस्मों से संबंधित अधिकारों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा हो। इसके अतिरिक्त, थाईलैंड 'यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी जापानी पैटेंट आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि जिस विषय वस्तु का आवेदन में दावा किया गया है, वह प्राकृतिक रूप से होने वाले सूक्ष्म-अवयव से संबंधित है। 81.
जापान-इंडोनेशिया एफटीए/2007/लागू
इंडोनेशिया यूपीओवी (1991) का अनुपालन करेगा और उसमें शामिल होने का प्रयास करेगा। 82.
जापान-मंगोलिया एफटीए/बातचीत जारी
जापान-वियतनाम एफटीए/2011/लागू
वियतनाम यूपीओवी (1991) के अनुरूप सभी पौध प्रजातियों के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयास करेगा। 83.

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड-वियतनाम आईपीआर समझौता/1999/लागू
वियतनाम को अनिवार्य रूप से 2002 तक यूपीओवी (1991 अधिनियम) में शामिल हो जाना चाहिए। 84.

संयुक्त राष्ट्र
अंतः-प्रांत साझीदारी समझौता 85./बातचीत जारी
लीक हुए नवीनतम दस्तावेजों के अनुसार, ऐसा प्रस्ताव है कि सभी पक्षों को यूपीओवी (1991 अधिनियम) और बुडापेस्ट समझौते में शामिल हो जाने के लिए उपकृत हैं। अमेरिका, जापान और सिंगापुर का यह भी प्रस्ताव है कि सभी पक्ष पौधों एवं पशुओं या वैकल्पिक रूप से पौध-संबंधित अन्वेषणों के लिए पैटेंट उपलब्ध कराएंगे (इनमें पौध किस्म भी शामिल है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वह यूपीओवी सुरक्षा के लिए अयोग्य किस्मों तक ही सीमित रहे)। यह समझौता अनुवांशिक संसाधनों एवं जैव विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के वितरण एवं उपयोग पर कानूनी प्रतिबंध भी लगा सकता है। 86.

यूएस-कंबोडिया आईपीआर समझौता/1996/लागू
कंबोडिया को अनिवार्य रूप से यूपीओवी में शामिल होना चाहिए। 87.
यूएस-कोरिया एफटीए/2007/लागू
कोरिया को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) एवं बुडापेस्ट समझौता दोनों में शामिल होना चाहिए, और यह पैटेंट सुरक्षा से पौधों, पौध किस्मों या पशुओं को बहिष्कृत नहीं भी कर सकता है। 88
यूएस-कोरिया आईपीआर समझौता/1986/लागू
कोरिया को अनिवार्य रूप से बुडापेस्ट समझौता में शामिल होना चाहिए। 89.
यूएस-लाओस बीटीए/2003/लागू
लाओस को अनिवार्य रूप से 'बिना किसी विलंब के' यूपीओवी (1978 या 1991 अधिनियम) में शामिल होना चाहिए। लाओस को बिना पौधों या पशुओं के लिए बहिष्करण के, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए भी पैटेंट मुहैया कराना चाहिए। 90.
यूएस-मलेशिया एफटीए/बातचीत जारी
यूएस-मंगोलिया टीआरए/1991/लागू
अनुमति प्राप्त पैटेंट कानून से पौधों एवं पशुओं के लिए कोई बहिष्करण नहीं 91.
यूएस-सिंगापुर एफटीए/2003/लागू
सिंगापुर को अनिवार्य रूप से यूपीओवी (1991 अधिनियम) में लागू होने के छह महीनों के भीतर या 2003 के आखिर तक, जो भी पहले हो, शामिल हो जाना चाहिए। सिंगापुर को सभी प्रकार के पौधों या पशुओं पर भी पैटेंट की अनुमति देनी चाहिए ('प्रत्येक पक्ष केवल ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेदों 27.2 और 27.3 (ए) में वर्णित पैटेंट की योग्यता से अन्वेषणों को बहिष्कृत कर सकते हैं') 92.
यूएस-श्रीलंका आईपीआर समझौता/1991/लागू
अनुमति प्राप्त पैटेंट कानून से पौधों एवं पशुओं के लिए कोई बहिष्करण नहीं 93.
यूएस-थाईलैंड एफटीए/बातचीत जारी
यूएस-वियतनाम बीटीए/2000/लागू
वियतनाम को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करना चाहिए और यूपीओवी में शामिल होने की सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए। वियतनाम को पौधों एवं पशुओं के सभी रूपों पर पैटेंट सुरक्षा भी मुहैया करानी चाहिए जो किस्में नहीं हैं तथा उन अन्वेषणों पर भी चिनमें एक से अधिक किस्म सन्निहित है। 94.

यूरोप
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ
ईएफटीए-बोस्निया एवं हर्जेगोविना एफटीए/ 2003/ हस्ताक्षरित लेकिन लागू नहीं
बोस्निया एवं हर्जेगोविना को 2013 के आखिर तक यूपीओवी समझौते (1991 अधिनियम) में अनिवार्य रूप से शामिल हो जाना चाहिए। 95.
ईएफटीए-मैकदुनिया एफटीए/ 2000/ लागू
मैकदुनिया को अनिवार्य रूप से बुडापेस्ट समझौते में 2001 तक और यूपीओवी समझौते में 2002 तक शामिल हो जाना चाहिए। 96.
ईएफटीए-मोंटेंग्रो एफटीए/ 2011/ लागू
मोंटेंग्रो को अनिवार्य रूप से 2012 तक यूपीओवी समझौते में शामिल हो जाना चाहिए। 97.
ईएफटीए-सर्बिया एफटीए/ 2009/ लागू
सर्बिया को अनिवार्य रूप से 2010 तक यूपीओवी ((1991 अधिनियम) समझौते में शामिल हो जाना चाहिए। 98.

यूरोपीय संघ
ईयू- मैकदुनिया एफटीए/ 2004/ लागू
मैकदुनिया को अनिवार्य रूप से 2009 तक यूपीओवी ((1991 अधिनियम) समझौते में शामिल हो जाना चाहिए। 99.
ईयू-माल्डोवा एफटीए/ 2004/ अंतरिम आवेदन के तहत
माल्डोवा को ऐच्छिक 'किसानों के विशेषाधिकार' (प्रजनक के अधिकारों का सम्मान करते हुए सुरक्षित बीजों का फिर से उपयोग करने के लिए) को दर्ज करते हुए अनिवार्य रूप से यूपीओवी समझौते को क्रियान्वित करना चाहिए। 100.
संयुक्त राष्ट्र
ईयू-यूएस एफटीए / बातचीत जारी

नोट्स

1. आईसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एवं लिचटेनस्टेन से निर्मित है।
2. ईएफटीए-मिस्त्र मुक्त व्यापार समझौता, 2007, अधिनियम 23
3. खाड़ी सहयोग परिषद : बहरीन, कुवैत, यमन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात
4. ईएफटीए राज्यों एवं खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौता
5. ईएफटीए-जॉर्डन मुक्त व्यापार समझौता, अधिनियम 17
6. ईएफटीए-लेबनान गणराज्य मुक्त व्यापार समझौता
7. ईएफटीए-मोरक्को मुक्त व्यापार समझौता
8. फिलीस्तीनी प्राधिकरण के लाभ के लिए पीएलओ और ईएफटीए राज्यों के बीच अंतरिम समझौता
9. यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के राज्यों एवं ट्यूनिशिया गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 17 दिसंबर 2004
10. अफ्रीकी, कैरेबियाई और प्रांत राज्यों तथा यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच साझीदारी समझौता
11. यूरो-भूमध्यसागरीय समझौता एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ अल्जीरिया लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक संघ की स्थापना करते हुए
12. आईबिड, परिशिष्ट 6, अधिनियम 1
13. कैमरून, चाड, कौंगो, इक्वैटोरियल गीयना, गैबोन एवं साओ टोम तथा पिंसिप
14. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ सेंट्रल पार्टी के बीच एक आर्थिक साझीदारी समझौते के लिए एक अंतरिम समझौता, 15 जनवरी 2009
15. बुरून्डी, कीनिया, रवांडा, तंजानिया, उगांडा
16. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ पूर्वी अफ्रीकी समुदाय साझेदार राज्यों के बीच एक आर्थिक साझीदारी समझौते के लिए एक संरचना की स्थापना के लिए समझौता, 2007
17. कोमोरोस, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिबाउती, इरितेरा, इथोपिया, मेडागास्कर, मालावी, मॉरीशस, सिचेलस, सूडान, जाम्बिया और जिम्बाब्वे
18. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी समुदाय साझेदार राज्यों के बीच एक आर्थिक साझीदारी समझौते के लिए एक संरचना की स्थापना के लिए अंतरिम समझौता, अगस्त 2009
19. बेनिन, बुर्कीना फासो, केप वर्डे, कोट डी एल'वायर, गाम्बिया, घाना, गुनिया, गुनिया-बिस्साउ, लाईबेरिया, मौरीटैनिया, माली, नाइजर, नाईजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन एवं टोगो।
20. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बातचीत के समापन के बाद प्रारूप संयुक्त विषय वस्तु, फरवरी 2014, एक तरफ पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों, ईसीओडब्ल्यूएएस और डब्ल्यूएईएमयू के बीच और दूसरी तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्य राज्यों के बीच एक आर्थिक साझीदारी समझौता (ईपीए), (अधिनियम 106.2)
21. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं उनके सदस्य राज्यों और दूसरी तरफ मिस्त्र लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक यूरो-भूमध्यसागरीय संघ समझौता के समापन पर आयोग के निर्णय और एक परिषद के लिए एक प्रस्ताव, कॉम (2001) 184 अंतिम, यूरोपीय समुदायों का 30 अक्तूबर, 2001 का आधिकारिक जर्नल सी 304 ई/2
22. अरब वसंत क्रांति, 10 मई 2012 के बाद दक्षिणी भू- भूमध्यसागरीय के लिए ईयू व्यापार एवं निवेश रणनीति पर यूरोपीय संसदीय घोषणापत्र
23. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ जार्डन की ह्योमाइट राजशाही के बीच एक संघ की स्थापना के लिए यूरो- भूमध्यसागरीय संघ समझौता, 24 नवंबर 1997 को हस्ताक्षरित यह समझौता 1 मई 2002 को लागू हुआ, यूरोपीय समुदायों एल 129 का 2002 का आधिकारिक जर्नल
24. अरब वसंत क्रांति, 10 मई 2012 के बाद दक्षिणी भू- भूमध्यसागरीय के लिए ईयू व्यापार एवं निवेश रणनीति पर यूरोपीय संसदीय घोषणापत्र
25. एक तरफ यूरोपीय समूदायों के बीच व्यापार एवं व्यापार-संबंधित मामलों और दूसरी तरफ लेबनान गणराज्य पर अंतरिम समझौता, यूरोपीय समुदायों एल 262/2 का 30 सितंबर 2002 का आधिकारिक जर्नल
26. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्य राज्यों के बीच और दूसरी तरफ मोरक्को राजशाही के बीच एक संघ की स्थापना के लिए यूरो- भूमध्यसागरीय संघ समझौता, यूरोपीय समुदायों (ओ जे) एल 0702 पृष्ठ 0002-0204 का 18 मार्च 2000 का आधिकारिक जर्नल
27. अरब वसंत क्रांति, 10 मई 2012 के बाद दक्षिणी भू- भूमध्यसागरीय के लिए ईयू व्यापार एवं निवेश रणनीति पर यूरोपीय संसदीय घोषणापत्र
28. एक तरफ यूरोपीय समुदायों के बीच व्यापार एवं सहयोग पर भू- भूमध्यसागरीय के लिए ईयू व्यापार एवं निवेश रणनीति पर यूरोपीय संसदीय अंतरिम संघ समझौता तथा दूसरी ओर वेस्ट बैंक एवं गाजा स्ट्रिप की फिलीस्तीनी अथॉरिटी के लाभ के लिए फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ), 16 जुलाई 1997 का आधिकारिक जर्नल एल 187 पृष्ठ 0003-0135
29. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं इसके सदस्यों के बीच और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका गणराज्य व्यापार, विकास एवं सहयोग पर समझौता 4 दिसंबर 1999 का आधिकारिक जर्नल एल 311 पृष्ठ 0003-0297
30. अंगोला, बोस्तवाना, लेसोथो, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वैजलैंड, तंजानिया एवं दक्षिण अफ्रीका समेत दक्षिणी अफ्रीका विकास समुदाय, देखें सेक्शन 10, जून 2007 का मसौदा ईयू-एसएडीसी इकोनोमिक पार्टनरशिप समझौते के आर्टिकल 10-11,
31. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्यों और दूसरी तरफ एसएडीसी ईपीए राज्यों के बीच आर्थिक साझीदारी समझौता, सितंबर 2014 तक

विषय वस्तु पर सहमति और कानूनी अड़चनों के बीच

32. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्यों और दूसरी तरफ सीरिया अरब गणराज्य के बीच एक यूरो-भूमध्यसागरीय संघ समझौते के समापन पर एक परिषद निर्णय के लिए प्रस्ताव, सीओएम (2004) 808 अंतिम, ब्रुसेल्स, 17 दिसंबर 2004
33. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्यों और दूसरी तरफ ट्यूनीशिया गणराज्य के बीच एक संघ की स्थापना के लिए यूरो-भूमध्यसागरीय समझौता, ऑफिसियल जरनल 30 मार्च 1998 का एल 097 पृष्ठ 0002-0183
34. अरब वसंत क्रांति, 10 मई 2012 के बाद दक्षिणी भू- भूमध्यसागरीय के लिए ईयू व्यापार एवं निवेश रणनीति पर यूरोपीय संसदीय घोषणापत्र
35. बेनिन, बुर्कीना फासो, केप वर्डे, कोट डीएल वॉयर, गांबिया, घाना, गीनिया , गीनिया-बिसाउ, लाईबेरिया, माले, मॉरीशानिया, नाइगर, सेनेगल, सिएरा लियोन एवं टोगो। अंग्रेजी में देखें सेक्शन 10, अप्रैल 2007 का मसौदा ईयू-एसएडीसी इकोनोमिक पार्टनरशिप समझौते के आर्टिकल 10-11,
36. 2000 का व्यापार एवं विकास अधिनियम
37. यूएस-बहरीन मुक्त व्यापार समझौता, 2004
38. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जॉर्डन हशमिते राजशाही के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समझौता
39. यूएस-मोरक्को मुक्त व्यापार समझौता, 2004
40. यूएस-यमन मुक्त व्यापार समझौता, 2006
41. दक्षिण अफ्रीका, बोस्तवाना, नामीबिया, लेसोथे एवं स्वाजीलैंड
42. ईएफटीए राज्यों एवं मध्य अमेरिकी राज्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 24 जून 2013, अगर कोई पक्ष पहले से ही यूपीओवी 1978 का सदस्य है और उसने यूपीओवी 1991 का सदस्य न बनने का फैसला किया है तो वह एफटीए की शर्तों के तहत यूपीओवी 1978 को क्रियान्वित कर सकता है।
43. ईएफटीए-चिली मुक्त व्यापार समझौता, अधिनियम 46
44. कोलंबिया गणराज्य और ईएफटीए राज्यों के बीच मुक्त व्यापार समझौता
45. ईएफटीए-मैक्सिको मुक्त व्यापार समझौता
46. ईएफटीए राज्यों एवं पेरू गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता
47. अफ्रीकी, कैरेबियाई एवं प्रांत राज्यों तथा यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्य राज्यों के बीच साझीदारी समझौता
48. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्य राज्यों तथा दूसरी तरफ कोलंबिया और पेरू के बीच व्यापार समझौता
49. एंटीगुआ एवं बारबुडा, बहमास, बारबडोस, बेलाइज, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमैका, मौंसेराट, सेंट लुसिया, सेंट किट्स एवं नेविस, सेंट विंसेट एवं ग्रेनाडाईस, सूरीनाम तथा ट्रिनिदाद एवं टूबैगो
50. एक तरफ कैरीफोरम राज्यों और दूसरी तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्यों के बीच आर्थिक साझीदारी समझौता, जैसाकि 16 दिसंबर 2007 को प्रारंभ हुआ और 15 अक्तूबर 2008 को उस पर हस्ताक्षर हुए।
51. कॉमन दक्षिणी मार्केट : अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरेग्वे एवं वेनेजुएला
52. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्यों के बीच और दूसरी तरफ संयुक्त मैक्सिकन राज्यों के बीच आर्थिक साझीदारी समझौता, राजनीतिक समन्वय एवं सहयोग समझौता, 28 अक्तूबर 2000 का आधिकारिक जरनल एल 276/45
53. जपान एवं चिली गणराज्य के बीच आर्थिक रणनीतिक साझीदारी के लिए समझौता, मार्च 2007
54. आंडियन व्यापार संवर्द्धन एवं ड्रग उन्मूलन अधिनियम
55. अमेरिकाज के मुक्त व्यापार क्षेत्र, तीसरा प्रारूप समझौता, 21 नवंबर 2003, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अध्याय, यूएस इस स्थिति पर 2001 के प्रारंभ से ही बातचीत कर रहा है
56. अमेरिकाज के मुक्त व्यापार समझौते, अध्याय 17, बौद्धिक संपदा
57. वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूएस एवं वियतनाम के बीच बातचीत जारी
58. टीपीपी बौद्धिक संपदा (अधिकारों) अध्याय, समेकित विषय वस्तु , 16 मई 2014
59. 2000 का यूएस-कैरेबियाई व्यापार साझीदारी अधिनियम
60. यूएस-चिली मुक्त व्यापार समझौता, 2003
61. यूएस-कोलंबिया व्यापार संवर्द्धन समझौता, 27 फरवरी 2006 को हस्ताक्षरित
62. यूएस-डोमिनिकन रिपब्लिक -मध्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, 2004, अध्याय 15, अधिनियम 15.1 एवं 15.9
63. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार एवं इक्वाडोर की सरकार के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रवर्तन से संबंधित समझौता
64. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार एवं निकारगुआ गणराज्य की सरकार के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रवर्तन से संबंधित समझौता
65. अमेरिका-पनामा मुक्त व्यापार समझौता, दिसंबर 2006 का मसौदा
66. यूएस-पेरू व्यापार संवर्द्धन समझौता, 6 जनवरी 2006 का प्रारूप (कानूनी समीक्षा का विषय) धारा 16.1.12, 16.1.13 एवं 16.9.2
67. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार एवं त्रिनिदाद एंड टूबैगो की सरकार के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रवर्तन से संबंधित सहमति पत्र
68. इफएफटीए-हांगकांग चीन मुक्त व्यापार समझौता, 21 जून 2011

69. ईएफटीए राज्यों-कोरिया गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 15 दिसंबर 2005
70. अफ्रीकी, कैरेबियाई एवं प्रांत राज्यों तथा यूरोपीय समुदायों और इसके सदस्य राज्यों के बीच साझीदारी समझौता
71. दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संघ : ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम
72. यूरोपीय समुदाय एवं बांग्ला देश के बीच साझीदारी एवं विकास पर सहयोग समझौता, 21 मई 1999 का ओ जे सी 143। (अधिनियम 4.5) यूरोपीय समुदाय एवं बांग्ला देश के बीच साझीदारी एवं विकास पर सहयोग समझौता, आधिकारिक जरनल एल 118, 27/04/2001 पृष्ठ 0048-0056
73. द्विपक्षीयों पर महत्वपूर्ण विषयवस्तु उपलब्ध हैं
74. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्य देशों तथा दूसरी तरफ कोरिया गणराज्य के बीच व्यापार एवं सहयोग के लिए संरचना समझौता, ब्रुसेल्स, 30 मार्च 2001
75. एक तरफ यूरोपीय समुदाय और इसके सदस्य देशों तथा दूसरी तरफ कोरिया गणराज्य के बीच व्यापार एवं सहयोग के लिए संरचना समझौता, ब्रुसेल्स, 6 अक्तूबर 2010
76. कूक आईलैंड, फिजी, किरीबाटी, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियुई, पलाउ, पपुआ न्यू गीनिया, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, टूवालु एवं वानुआटू
77. यूरोपीय समुदाय एवं सिंगापुर गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 20 सितंबर 2013
78. यूरोपीय समुदाय एवं श्रीलंका के बीच साझीदारी एवं विकास पर सहयोग समझौते के समापन से संबंधित 27 मार्च 1995 का परिषद निर्णय
79. एक आर्थिक साझीदारी के लिए जापान एवं ब्रुनेई दारूसलाम के बीच समझौता, 16 जून 2007
80. जापान सरकार एवं मलेशिया सरकार के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए समझौता, दिसंबर 2005
81. जापान-थाईलैंड आर्थिक साझीदारी समझौता जैसाकि 3 अप्रैल 2007 को हस्ताक्षर किया गया। दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक साइड पत्र में 'स्पष्ट' किया गया है कि अधिनियम 130.3 किसी भी पक्ष को प्राकृतिक रूप से होने वाले सूक्ष्मअवयवों एवं उनके तत्वों को पैटेंट करने को मजबूर नहीं करता।
82. जापान एवं इंडोनेशिया के बीच एक आर्थिक साझीदारी के लिए समझौता जैसाकि 20 अगस्त 2007 को हस्ताक्षर किया गया।
83. जापान एवं वियतनाम के बीच एक आर्थिक साझीदारी के लिए समझौता 25 दिसंबर 2008।
84.
85. वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, यूएस एवं वियतनाम
86. टीपीपी बौद्धिक संपदा (अधिकार) अध्याय, समेकित विषय वस्तु, 16 मई 2014।
87. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कंबोडिया राजशाही के बीच व्यापार संबंधों एवं बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा पर समझौता।
88. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं कोरिया गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 30 जून 2007।
89. बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सहमति का रिकॉर्ड
90. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं लाओ पीपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक के बीच व्यापार संबंधों पर समझौता।
91. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं मंगोलिया सरकार के बीच व्यापार संबंधों पर समझौता।
92. यूएस-सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौता, मई 2003।
93. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं श्रीलंका के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एवं प्रवर्तन पर समझौता।
94. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं वियतनाम के बीच व्यापार संबंधों पर समझौता।
95. ईएफटीए राज्यों एवं बोस्निया एवं हर्जेगोविना के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 24 जून 2013।
96. ईएफटीए राज्यों एवं मैकदुनिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता
97. ईएफटीए राज्यों एवं मोंटेंनेग्रो के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 14 नवंबर 2011।
98. ईएफटीए राज्यों एवं सर्बिया गणराज्य के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 17 दिसंबर 2009।
99. एक तरफ यूरोपीय समुदायों एवं उनके सदस्य देशों तथा दूसरी तरफ मैकदुनिया के पूर्व युगोस्लाव गणराज्य के बीच स्थिरीकरण तथा संघ समझौता, 1 मई 2004।
100. एक तरफ यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय एवं उनके सदस्य देशों तथा दूसरी तरफ माल्डोवा गणराज्य के बीच संघ समझौता, 27 जून 2014 ।

ग्रेन

ग्रेन एक छोटा अंतरर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो कि छोटे किसानों और सामाजिक आंदोलन को उनके संघर्ष जो समुदाय नियंत्रित जैव विविधता पर आधारित खाद्य व्यवस्था विकसित करने के लिए चलाये जाते हैं में मदद करता है। 'अगेंस्ट द ग्रेन' हालिया ट्रेंड और इस दिशा में हुए विकास जिसपर ग्रेन काम करता है से जुड़े मसलों का छोटे-छोटे लेखों का विचार संग्रह है। ये सभी लेख विषेष और समसामयिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अगेंस्ट द ग्रेन का संपूर्ण संग्रह को हमारे वेबसाईटः
www.grain.org/article/categories/13-against-the-grain
पर भी देखा जा सकता है।

ग्रेन,
गिरोना, 25 पीआरएएल., बार्सीलोना, स्पेन
टेली: 34 93 3011381, फैक्स: 34 933011627
ई मेलः grain@grain.org
_www.grain.org